संख्या-1/2016/36/1/76-का-2/1998टी.सी.

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांकः 18 अप्रैल, 2016

विषयः- राज्याधीन सेवाओं में तैनात अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि का अंकन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पूर्व निर्गत समसंख्यक शासनादेश दिनांक 05-02-1998 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के अंकन में यदि अधोहस्ताक्षरी प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकर्ता अधिकारी निर्धारित हो, तो ऐसी गोपनीय प्रविष्टियां, प्रतिवेदक /समीक्षक/स्वीकर्ता मन्तव्य अंकित करने हेतु अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 25-04-2016 के पूर्व उपलब्ध करा दी जाएं ताकि यथासमय वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों में मन्तव्य अंकित किया जा सके।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रामणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।